

## उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

### भाग-1

#### आवेदक द्वारा भरा जायेगा

- 1—मृत राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद नाम-----
- 2—कार्यालय का पता जहाँ मृत्यु के समय वह कार्यरत था-----
- 3—मृत्यु का कारण-----
- 4—मृत्यु की तारीख-----

#### आवेदक के सम्बन्ध के विवरण

- 5—आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से सम्बन्ध-----
- 6—निवास स्थान का पूरा पता-----  
(क) स्थायी-----  
(ख) पत्र-व्यवहार का पता-----
- 7—आवेदक के पहचान के चिन्ह-----
- 8—आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय तथा परिवार की आर्थिक स्थिति-----
- 9—मृतक द्वारा छोड़ी गई चल/अचल सम्पत्ति तथा उससे सम्भावित वार्षिक आय-----
- 10—मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/स्थिति-----
- 11—उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि-----
- 12—भुगतान का स्थान-----
- 13—मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा विवरण-----

| क्रम-संख्या | नाम | आयु | मृत कर्मचारी से सम्बन्ध | व्यवसाय |
|-------------|-----|-----|-------------------------|---------|
| 1           |     |     |                         |         |
| 2           |     |     |                         |         |
| 3           |     |     |                         |         |
| 4           |     |     |                         |         |
| 5           |     |     |                         |         |
| 6           |     |     |                         |         |
| 7           |     |     |                         |         |

14—यदि पुत्र एवं पुत्रियां अध्ययनरत् हों तो उसके विवरण—

| क्रम-संख्या | नाम | कक्षा | विद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत् हो |
|-------------|-----|-------|-----------------------------------|
| 1           |     |       |                                   |
| 2           |     |       |                                   |
| 3           |     |       |                                   |
| 4           |     |       |                                   |
| 5           |     |       |                                   |

दिनांक.....200

ई०

आवेदक के हस्ताक्षर

#### घोषणा-पत्र

मैं.....पत्नी/पति/माता/पिता/पुत्र/पुत्री स्व० श्री/श्रीमती.....  
 यह प्रमाणित करता/करती/हूँ कि जो विवरण ऊपर दिये गये हैं, मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय तो उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे मेरी स्थायी अथवा अस्थायी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक.....200

ई०

आवेदक के हस्ताक्षर।

## कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

- 1—मृत राज्य कर्मचारी का पूरा नाम तथा पदनाम-----
- 2—मृत्यु के समय का मूल वेतन -----
- 3—सेवा की अवधि वर्ष-----माह-----दिन-----
- 4—स्थायी अथवा अस्थायी -----
- 5—मृतक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि-अंश दायी (कण्ट्रीब्यूटरी) भविष्य निधि में जमा वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति -----
- 6—मृतक के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपॉजिट लिक्ड इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति -----
- 7—मृतक के परिवार को प्रस्तावित/ स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति -----
- 8—मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक की वास्तविक/ अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति -----
- 9—मृतक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण से प्राप्त/प्राप्य वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति -----
- 10—मृतक के परिवार को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य धनराशि व भुगतान की स्थिति -----
- 11—मृतक के परिवार को यदि किसी वैभांगिक परोपकारी कोष से सहायता स्वीकृत की गई हो या स्वीकृत होने की आशा हो तो उसका पूर्ण विवरण -----
- 12—मृतक ने यदि अपने सेवाकाल के दौरान राजकीय ऋण/अग्रिम लिया हो तो ब्याज सहित उसकी वसूली की स्थिति -----
- 13—“उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974” के अधीन यदि मृतक के किसी आश्रित को सरकारी सेवा में लिया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण एवं उसकी मासिक परिलब्धियां, यदि नहीं, तो क्यों? -----
- 14—प्रस्तावित अनुदान की राशि -----

संस्तुति करने वाले पदाधिकारी की संस्तुति.....

दिनांक 19 ई० संस्तुत करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर  
 और पद नाम  
 प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक 19 ई० विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पद नाम

टिप्पणी:-(क) प्रार्थना-पत्र के प्रत्येक कालम में अपेक्षित सूचना भरी जाय। कालम-5 से 10 में अपेक्षित धनराशि का भुगतान यदि प्रार्थना-पत्र के अंग्रसारण के दिनांक तक न हुआ हो तो भुगतान में विलम्ब के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए भुगतान होने वाली अनुमानित-धनराशि का उल्लेख कर दिया जाए।

(ख) यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वांछित सूचना के लिये अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग से संलग्न कर दिया जाय।

(ग) अनावश्यक शब्द काट दिये जायं।

भाग—3

(प्रशासनिक विभाग की संस्तुति)

शासन का यह विभाग.....(विभागाध्यक्ष) की संस्तुति की ध्यान में रखते हुए समुचित विचारोपरान्त स्वर्गीय श्री ..... के परिवार को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से केवल रुपये ..... की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के औचित्य से सहमत है और तदनुसार सहायता की संस्तुति करता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को सहायता देने के लिए इस विभाग के अधीन कोई और विभागीय निधि नहीं है। ..... निधि है जिसमें स्वर्गीय श्री .....के परिवार की .....रुपये की सहायता स्वीकृत कर दी गई है। स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

( )

प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,  
 उत्तर प्रदेश शासन,  
 .....विभाग।